कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर।

विज्ञप्ति

संख्या 700/जि०वि०से०प्रा०, बलरामपुर दिनांक 26.10.2026

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु, माननीय जनपद न्यायाधीश श्री उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय पर 08 पी०एल०वी०, तहसील सदर बलरामपुर पर 05 पी०एल०वी० तहसील उतरौला पर 02 पी०एल०वी०, तहसील तुलसीपुर पर 02 पी०एल०वी० की नियुक्ति किया जाना है। इस संबंध में निम्नलिखित समूहों में से ऐसे व्यक्तियों का जो विधिक सेवा जनसमूह को उपलब्ध करने व निचले व कमजोर तबके के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके विकास व सामाजिक उत्थान हेतु इच्छुक हो, को परा-विधिक स्वयं सेवकगण के चयन में वरीयता दी जाएगी। एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा।

वाइलेन्टियर्स के चयन हेतु निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. चिकित्सक, अध्यापक (सेवा निवृत्त)
2. सरकारी सेवक व वरिष्ठ नागरिक (सेवा निवृत्त)
3. एम०एस० डब्लू छात्र/छात्रा व अध्यापक
4. आंगनवाड़ी कार्यकत्री
5. उभयलिंगी समुदाय के सदस्य।
6. विधि छात्र/छात्रा (जब तक कि यह अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते)।
7. स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता।
8. महिला संगठनों के सदस्य, मैत्री संगठन व अन्य सेवा समूह के सदस्य।
9. शिक्षित बन्दी जो अच्छे व्यवहार के हो तथा लम्बी अवधि की सजा कारागार में काट रहे हों (अधीक्षक, जिला कारागार बंदियों को यह सूचना उपलब्ध करायें व अभ्यर्थियों के आवेदन अग्रसारित कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नियत तिथि तक प्रेषित करें)
10. विशेष प्रतिभावान खिलाडी एवं विशिष्ट कलाकार।
11. विलक्षण एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया हो।
12. कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला प्राधिकरण इस हेतु अर्ह समझें।

अतः जन साधारण से अनुरोध है कि जो व्यक्ति पराविधिक स्वयं सेवक के अन्तर्गत चयनित होना चाहते है वे अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 29.10.2026 को सायं 4:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर अथवा तहसील विधिक सेवा समिति बलरामपुर (सदर), उतरौला व तुलसीपुर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र की प्रति कार्यालय जिला विधिक प्राधिकरण, बलरामपुर से प्राप्त की जा सकती है अथवा जनपद न्यायालय, बलरामपुर की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर साक्षात्कार दिनांक 30.10.2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर में आयोजित किया जायेगा। उक्त साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु

कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्त किये गए पैरा-विधिक स्वयं सेवकगण (पी०एल०वी) को विशिष्ट कार्यों जैसे दूरवर्ती गांवों में जानें, विधिक साक्षरता से सम्बन्धित साहित्यों का वितरण करने एवं लीगल एड क्लीनिक तथा फ्रन्ट आफिस में उपस्थित होने पर राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

उक्त से संबंधित कोई भी जानकारी कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर से प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।.

10.26

(यशपाल वर्मा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलरामपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- श्रीमान सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3- जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4- मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बलरामपुर को विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से ग्राम स्तर पर कराए जाने हेतु निर्देशित करें।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर सूचनार्थ प्रेषित।

6- समस्त तहसीलदार जनपद बलरामपुर को इस अनुरोध से प्रेषित कि विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को अविलम्ब कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर को उपलब्ध कराये।

7- जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बलरामपुर इश निर्देश के साथ प्रेषित कि वह विज्ञप्ति का सूचना अपने स्तर से जिला कारागार में परिचालित कराया जाना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को अविलम्ब कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर को उपलब्ध कराये।

8- उपनिदेशक, सूचना विभाग (लखनऊ) को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह उक्त विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन बलरामपुर जनपद के समस्त समाचार पत्रों में जनहित में कराएं।

9- ओ०एस०डी, कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (जे०) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह उक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

10- केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ की उक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय, बलरामपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराएं।

11- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बलरामपुर इस आशय से की वह उक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय, बलरामपुर की वेबसाइट पर अपलोड करें।

12- केन्द्रीय नाजिर, कलेक्ट्रेट, बलरामपुर के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा किए जाने तथा चस्पा की रिपोर्ट कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13- अध्यक्ष, समस्त बार एशोसिएशन जनपद न्यायालय, बलरामपुर को सूचनार्थ एवं संबंधित सूचना बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु।

14- कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु।

(यशपाल वर्मा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलरामपुर